Central Plan Scheme Monitoring System(CPSMS)

सी.पी.एस.एम.एस. एक पूर्ण वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली है ।

सी.पी.एस.एम.एस. तीन आधारभूत उद्देश्यों पर काम करता है ।

1. **आर्थिक व्यय एवं मद की स्थिति** : विभिन्न स्तरों पर व्यय एवं धन की उपलब्धता के बारे में रूझान प्रदान करते है ।
2. **ई-भुगतान** : बिना किसी विलंब के राज्य पूल से लाभार्थी के खातों के बीच धन का हस्तांतरण ।
3. **व्यय विवरणी** : वित्तीय व्यय एवं लेन-देन के लेखा-जोखा का इतिहास सी.पी.एस.एम.एस. पर अपने आप दर्ज हो जायेगा ।

मनरेगा के संदर्भ में CPSMS

सितंबर 2012 से, CPSMS का प्रयोग बिहार में, मनरेगा की राशि का हस्तांतरण करने के लिए किया जा रहा है| इसके लिए पटना में "राज्य निधि पुल" स्थापित किया गया है । मनरेगा के संदर्भ में CPSMS में तीन मूल उद्देश्यों पर काम किया जायेगा ।

1. **आर्थिक व्यय एवं मद की स्थिति** : मनरेगा की राशि जो कि राज्य पुल से लेकर लाभार्थी के खाते तक की सम्पूर्ण स्थिति का ट्रैक CPSMS करेगा । CPSMS मानिटरिंग एवं रिपोर्ट से हमें धन की उपलब्धता एवं व्यय की विवरणी का पता प्रत्येक स्तर पर (पंचायत स्तर तक भी) लगाया जा सकेगा ।
2. **ई-भुगतान का द्वार** : CPSMS हमें राशि को सीधे राज्य पुल से लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान करेगा । यह सब CPSMS चरणबद्ध तरीके से कर रहा है । CPSMS के तीसरे चरण में सीधे राज्य पुल से लाभार्थी के खाते में राशि का हस्तांतरण होगा ।

3. **व्यय विवरणी :** राशि की ट्रैकिंग एवं ई-भुगतान के कारण हमें लेन-देन की सभी जानकारी का इतिहास सही समय पर CPSMS के द्वारा प्राप्त हो जायेगी ।

मनरेगा के लिए CPSMS के चरणबद्ध तरीके :

- फेज । : जिला स्तर पर राशि का हस्तांतरण राज्य के खाते से सीधे शुन्य राशि वाले खाते में ।
- फेज ॥: जीरो बैलेंस खाते प्रखंड एवं पंचायत स्तर तक :- जिला एवं प्रखंड के जीरो बैलेंस खाते से होते हुए राशि का हस्तांतरण राज्य के जीरो बैलेंस खाते से पंचायत के जीरो बैलेस खाते में सीधा होना ।
- फेज ॥: अब राशि पंचायत से सीधे लाभार्थी के खाते में चली जायगी और यह सब nrega.nic.in एवं CPSMS के बीच डेटा साझा करके किया जायेगा ।

जीरो बैलेंस एकाउंट क्या है ?

CPSMS के फेज ॥ एवं ॥। शुरू करने के लिये हर जिला, प्रखंड एवं पंचायत का एक जीरो बैलेंस खाता होना आवश्यक है

जीरो बैलेंस खाता में हमेशा शून्य राशि रहती है, परन्तु CPSMS के द्वारा इस खाते से राशि की निकासी की जा सकती है | हर एक जीरो बैलेंस खाता एक अन्य खाते से (पंचायत का खाता प्रखंड के खाते से, तथा प्रखंड का खाता जिले के खाते से) जुड़ा होता हैं| जब कभी भी किसी जीरो बैलेंस खाते से राशि की निकासी होती है, उतनी राशि उसे अपने "Parent account" से मिल जाती है|

जीरो बैलेंस खाते का उपयोग हम निम्नलिखित तरीके से CPSMS में करते है

1. राशि हस्तांतरण का माध्यम : सभी राशि CPSMS की सहायता के द्वारा (जिला, प्रखंड या पंचायत) राज्य के खाता से होते हुए जीरो बैलेंस एकाउंट में जाती है ।
2. राशि व्यय की ट्रैकिंग करना : सभी राशि जीरो बैलेंस एकाउंट में हस्तांतरण हो रहे है । यह सभी व्यय जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर राशि के लेखा-जोखा रखने में सहायता प्रदान करेगी ।

CPSMS की वर्तमान स्थिति :

CPSMS बिहार के विभिन्न भागों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है :

- फेज । : अभी बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों में (सीतामढ़ी को छोड़कर) CPSMS राज्य के पुल एकाउंट से मनरेगा खर्च के लिए सीधे खींचा जाता है
- फेज ॥ : 12 जिलों के 69 ब्लॉकों में, पंचायत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान सीधे उनके बचत खातों में उनके मस्टर उपस्थिति के आधार पर अब शुरू करने वाला है । ये 12 जिलें है – औरंगाबाद, बेगुसराय, गया, नवादा, मधुबनी, रोहतास, भोजपुर, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, समस्तीपुर, सीवान
- फेज ॥। : नालांदा के पॉच चुने हुए ब्लॉकों में मजदूरी का भुगतान पंचायतों द्वारा मजदूरों की मस्टर उपस्थिति के आधार लाभार्थी के खाते में जमा हो जाता है ।

CPSMS का प्रभाव

- इसके द्वारा राशि का लेखा-जोखा (आना-जाना) का ट्रैक रखा जा सकता है और यह 37 जिलों में जिला स्तर पर निगरानी रखा जा रहा है ।

- नालंदा के पॉच प्रखंडो में राशि सीधे लाभार्थी के बैंक/पोस्ट ऑफिस के खाते बिना किसी देरी के हस्तांतरित हो रही है ।

लंबी दूरी के लक्ष्य : "CPSMS के विभिन्न चरण से सीखे गये सबक के आधार पर उपयोगकर्ता के अनुकूल एक सुद्रढ़ , कुशल और पारदर्शी वित्तीय एमआईएस बनाना" है ।